अध्याय-10 विधान.

(क) विधेयकों का प्रकाशन तथा पुरःस्थापन.

पुरःस्थापन के पहले प्रकाशन.

59. अध्यक्ष से प्रार्थना की जाने पर, वह किसी विधेयक को उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण, विधायनी शक्ति के प्रत्यायोजन संबंधी ज्ञापन, और उससे संलग्न वित्तीय ज्ञापन सहित राजपत्र में प्रकाशन का आदेश दे सकेगा, यद्यपि विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव नहीं रखा गया हो, उस अवस्था में विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव करना आवश्यक नहीं होगा.

विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव की सूचना.

60. (1) मंत्री को छोड़कर कोई सदस्य, जो किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव करना चाहता हो, अपने इस अभिप्राय की सूचना देगा और सूचना के साथ विधेयक की एक प्रति और उद्देश्यों और कारणों का एक व्याख्यात्मक विवरण, जिसमें प्रतर्क नहीं होंगे, भेजेगा :

परन्तु अध्यक्ष, यदि वह ठीक समझे, उद्देश्यों और कारणों के विवरण को पुनरीक्षित कर सकेगा.

(2) यदि विधेयक ऐसा विधेयक हो, जो संविधान के अधीन पूर्व मंजूरी या सिफारिश के बिना पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता, तो सदस्य सूचना के साथ ऐसी मंजूरी या सिफारिश अनुबद्ध करेगा और सूचना तब तक मान्य नहीं होगी जब तक इस अपेक्षा का पालन न हो जाये.

(3) इस नियम के अधीन विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव की सूचना की कालावधि अशासकीय विधेयक के लिये पूरे तीस दिन की होगी, यदि अध्यक्ष इससे कम समय की सूचना पर प्रस्ताव किये जाने की अनुमति न दे.

(4) अध्यक्ष किसी विधेयक की सूचना अस्वीकार कर सकेगा यदि विधेयक में इस नियम के उपनियम (2) या नियम 61 या 62 की अपेक्षाओं का पालन नहीं किया गया हो.

सभा में लंबित किसी अन्य विधेयक पर निर्भर विधेयक का पुरःस्थापन.

60-क. कोई विधेयक, जो सभा में लंबित किसी अन्य विधेयक पर पूर्णतः या अंशतः निर्भर है, उस विधेयक के पारित हो जाने की पूर्वाशा में जिस पर कि वह निर्भर है, सभा में पुरःस्थापित किया जा सकेगा :

परन्तु दूसरा विधेयक सभा में विचार किये जाने तथा पारित किये जाने के लिये केवल तभी लिया जावेगा, जब कि पहला विधेयक सदन द्वारा पारित किया जा चुका हो और राज्यपाल/राष्ट्रपति द्वारा उस पर अनुमति दी जा चुकी हो.

समान विधेयक की सूचना.

60-ख. जब कोई विधेयक सभा में लंबित हो तब किसी समान विधेयक की सूचना चाहे वह लंबित विधेयक के पुरःस्थापन से पूर्व या पश्चात प्राप्त हुई हों, लंबित सूचनाओं की सूची में यथास्थिति निकाल दी जायेगी अथवा उसमें दर्ज नहीं की जायेगी जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें.

विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति की मंजूरी या राज्यपाल की सिफारिश पहुंचाना.

60-ग. किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने या उस पर विचार किये जाने की मंजूरी देने या रोक लेने अथवा सिफारिश करने या रोक लेने के लिये राष्ट्रपति/राज्यपाल के आदेश लिखित रूप में सचिव को पहुंचाये जायेंगे.

विधेयक का वित्तीय ज्ञापन और विधेयक के धन खण्ड.

61. (1) विधेयक के साथ एक वित्तीय ज्ञापन होगा जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त होने वाले खंडों की ओर विशेषतया ध्यान दिलाया जायेगा और उसमें उस आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय का भी प्राक्कलन दिया जायेगा, जो विधेयक के विधि रूप में पारित होने की अवस्था में अन्तर्ग्रस्त हो.

(2) विधेयक के जिन खण्डों या उपबन्धों में लोक निधि में से व्यय अन्तर्ग्रस्त हो वे मोटे टाइप या तिरछे अक्षरों में छापे जायेंगे :

परन्तु जब किसी विधेयक में कोई खण्ड जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, मोटे टाइप या तिरछे अक्षरों में न छापा गया हो तब अध्यक्ष विधेयक के भारसाधक सदस्य को ऐसे खंडों को सभा की जानकारी में लाने की अनुज्ञा दे सकेगा.

विधायनी शक्ति प्रत्यायोजित करने वाले विधेयक का व्याख्यात्मक ज्ञापन.

62. जिस विधेयक में विधायनी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिये स्थापनाएं अन्तर्ग्रस्त हों, उसके साथ एक ज्ञापन भी होगा जिसमें ऐसी प्रस्थापनाओं की व्याख्या होगी और उनकी व्याप्ति की ओर ध्यान दिलाया जावेगा तथा यह भी बताया जायेगा कि वे सामान्य रूप की हैं या अपवादस्वरूप की.

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव.

63. यदि किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाये तो अध्यक्ष, यदि वह ठीक समझे, प्रस्ताव करने वाले सदस्य और प्रस्ताव के विरोध करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्तव्य दिये जाने की अनुज्ञा देने के बाद बिना अग्रेतर वाद-विवाद के प्रश्न रख सकेगा :

परन्तु जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाये कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायनी क्षमता से परे है तो अध्यक्ष उस पर पूर्ण चर्चा की अनुज्ञा दे सकेगा :

परन्तु यह और भी कि अध्यक्ष विनियोग विधेयक के पुरःस्थापन की अनुमति के प्रस्ताव को मत हेतु तुरन्त रखेगा.

पुरःस्थापन के बाद प्रकाशन.

64. विधेयक के पुरःस्थापन किये जाने के बाद यथासंभव शीघ्र विधेयक राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जायेगा यदि वह पहले ही प्रकाशित न किया जा चुका हो.

(ख) विधेयकों के पुरःस्थापन के बाद प्रस्ताव.

विधेयक के पुरः-स्थापन के बाद प्रस्ताव.

65. विधेयक जब पुरःस्थापित किया जाये तब या उसके बाद किसी अवसर पर भारसाधक सदस्य अपने विधेयक के बारे में निम्नलिखित प्रस्तावों में से कोई एक प्रस्ताव कर सकेगा, अर्थात् :-

(क) कि उस पर विचार किया जाये; या

(ख) कि उसे सभा की प्रवर समिति को सौंपा जाये; या

(ग) उस पर राय जानने के लिये उसे परिचालित किया जाय :

परन्तु ऐसा कोई प्रस्ताव उस समय तक नहीं किया जायेगा जब तक कि विधेयक की प्रतिलिपियां सदस्यों के उपयोग के लिये उपलब्ध न कर दी गई हों, और यदि विधेयक की प्रतिलिपियां :-

(1) प्रस्ताव करने के दिन से दो दिन पहले इस तरह उपलब्ध न कर दी गई हों, या

(2) ऐसे प्रस्ताव की दशा में जो अधिक से अधिक सात दिन के अन्तर्वर्ती-अवकाश के बाद सत्र के प्रथम दिन किया गया हो ऐसे अवकाश के ठीक पहले दिन को उपलब्ध न करा दी गई हों, तो कोई सदस्य ऐसे किसी प्रस्ताव के लिये जाने पर आपत्ति कर सकेगा या और यदि अध्यक्ष इस नियम को निलंबित करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रस्ताव के किये जाने की अनुमति न दे दे, तो ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी.

सदस्य जो विधेयक के संबंध में प्रस्ताव कर सकेगा.

66. विधेयक के भारसाधक सदस्य को छोड़कर किसी अन्य सदस्य द्वारा यह प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जायेगा कि विधेयक पर विचार किया जाये या पारित किया जाये :

परन्तु यदि किसी विधेयक का भारसाधक सदस्य ऐसे कारणों से जिन्हें अध्यक्ष पर्याप्त समझे, उसके पुरःस्थापन के बाद उसके बारे में अगले प्रस्ताव को प्रस्तुत करने में असमर्थ हो, तो वह अध्यक्ष की अनुमति से उस प्रस्ताव विशेष को प्रस्तुत करने के लिये किसी अन्य सदस्य को प्राधिकृत कर सकेगा.

व्याख्या :- परन्तुक में दिये गये उपबन्धों के होते हुए भी वह सदस्य जिसने विधेयक को पुरःस्थापित किया है भारसाधक सदस्य बना रहेगा.

विधेयक के सिद्धान्त की चर्चा.

67. (1) जिस दिन नियम 65 में निर्दिष्ट कोई प्रस्ताव किया जाये उस दिन या उसके बात किसी दिन, जिसके लिये चर्चा स्थगित की जाये, विधेयक के सिद्धान्त और उसके उपबन्धों पर सामान्य रूप से चर्चा की जा सकेगी, किन्तु विधेयक के ब्यौरे पर उससे अग्रेतर चर्चा नहीं होगी जितनी कि उसके सिद्धान्तों की व्याख्या के लिये आवश्यक हो.

(2) इस प्रक्रम पर विधेयक में कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किये जा सकेंगे और खण्ड (क) या (ख) के अधीन अनुज्ञात संशोधन को छोड़कर, कोई संशोधन, नियम 65 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जायेगा, अर्थात् :-

(क) यदि भारसाधक सदस्य प्रस्ताव करे कि उसके विधेयक पर विचार किया जाय तो कोई सदस्य संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव कर सकेगा कि विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाय या प्रस्ताव में उल्लिखित की जाने वाली तिथि तक उस पर राय जानने के लिये परिचालित किया जाये; या

(ख) यदि भारसाधक सदस्य प्रस्ताव करे कि उसका विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाये तो कोई सदस्य संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव कर सकेगा कि विधेयक प्रस्ताव में उल्लिखित की जाने वाली तिथि तक उस पर राय जानने के लिये परिचालित किया जाये.

(3) जब यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाये कि विधेयक पर राय जानने के लिये उसे परिचालित किया जाय और विधेयक उस निदेश के अनुसार परिचालित किया जा चुके और उस पर राय प्राप्त हो चुके, तो भारसाधक सदस्य यदि, वह अपने विधेयक पर उसके आगे कार्यवाही करना चाहता हो, प्रस्ताव करेगा कि विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाये, यदि अध्यक्ष यह प्रस्ताव करने की अनुमति न दे कि विधेयक पर विचार किया जाये.

(ग) विधेयक पर प्रवर समिति.

प्रवर समिति की रचना.

68. (1) विधेयक पर प्रवर समिति आठ से कम या पन्द्रह से अधिक सदस्यों की नहीं बनेगी.

(2) विधेयक का भारसाधक सदस्य और विधि मंत्री प्रत्येक प्रवर समिति के सदस्य होंगे और ऐसी समिति की नियुक्ति के प्रस्ताव में उनके नाम सम्मिलित करना आवश्यक न होगा.

(3) समिति के अन्य सदस्य सभा द्वारा तब नियुक्त किये जायेंगे जब यह प्रस्ताव किया जाये कि विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाये या जब कि नियम 67 के उपनियम (2) के खण्ड (क) के अधीन संशोधन के रूप में प्रस्ताव किया जाय.

प्रवर समिति की गणपूर्ति.

69. (1) समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति चार सदस्यों की या समिति के सदस्यों की समस्त संख्या की एक तिहाई की, जो भी अधिक हो, होगी.

(2) यदि समिति की किसी बैठक के लिये नियत समय पर या ऐसी बैठक के दौरान में किसी समय पर गणपूर्ति न हो, तो समिति का सभापति या ते उस बैठक को गणपूर्ति होने तक निलंबित रखेगा या उस बैठक को किसी आगामी दिन के लिये स्थगित कर देगा.

(3) यदि उपनियम (2) के अनुसरण में प्रवर समिति की बैठकों के लिये नियत की गई लगातार दो तिथियों को समिति स्थगित की जा चुकी हो, तो सभापति उस तथ्य की सूचना सभा को देगा.

प्रवर समिति के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्य बैठक में उपस्थित हो सकेंगे.

70. जो सदस्य प्रवर समिति के सदस्य नहीं हैं वे समिति के पर्यालोचन के दौरान में उपस्थित रह सकेंगे किन्तु वे न तो समिति को संबोधित कर सकेंगे और न समिति के सदस्यों में बैठेंगे :

परन्तु समिति की अनुज्ञा से मंत्री उस समिति को संबोधित कर सकेगा जिसका कि वह सदस्य न हो.

संशोधन की सूचना और सामान्य रूप में प्रक्रिया.

70-क.(1) यदि प्रस्थापित संशोधन की सूचना प्रवर समिति द्वारा विधेयक लिये जाने के दिन से पूर्व न दी गई हो, तो कोई भी सदस्य संशोधन के प्रस्तुत किये जाने पर आपत्ति कर सकेगा और यदि सभापति संशोधन के प्रस्तुत किये जाने की अनुमति न दे तो ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी :

(2) अन्य प्रकरणों में, प्रवर समिति में प्रक्रिया ऐसे अनुकूलनों के साथ जो चाहे, रूप भेद के हों अथवा कोई अंश जोड़कर या निकालकर किये गये हों, जैसे अध्यक्ष आवश्यक या सुविधाजनक समझे, यथासाध्य वही होगी जिसका सभा में विधेयक के विचार प्रक्रम के दौरान में अनुसरण किया जाता है.

समिति के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों द्वारा संशोधन की सूचना.

70-ख. जब कोई विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जा चुका हो तो विधेयक के किसी खंड में संशोधन की किसी सदस्य द्वारा दी गई सूचना समिति को सौंपी गई समझी जायेगी, परन्तु जब संशोधन की सूचना किसी ऐसे सदस्य से प्राप्त हुई हो, जो प्रवर समिति का सदस्य नहीं है तो ऐसे संशोधन समिति द्वारा तब तक नहीं लिये जायेंगे, जब तक कि वे समिति के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत न किये गये हों.

विशेषज्ञ साक्ष्य लेने की शक्ति.

71. प्रवर समिति विशेषज्ञ-साक्ष्य ले सकेगी और उन विशेष हितों के प्रतिनिधियों के बयान सुन सकेगी जिन पर उसके समक्ष विद्यमान विधान का प्रभाव पड़ता हो.

प्रवर समिति के विनिश्चयों का अभिलेख और उसकी कार्यवाहियों का गोपनीय होना.

72. (1) प्रवर समिति की सब कार्यवाहियां गोपनीय समझी जायेंगी और उसकी सिफारिशें तब तक प्रकट नहीं की जायेंगी जब तक कि प्रतिवेदन सदस्यों के उपयोग के लिये उपलब्ध न किया जा चुका हो या राजपत्र में प्रकाशित न किया जा चुका हो.

(2) समिति के विनिश्चयों का अभिलेख रखा जायेगा और सभापति के निर्देशन के अधीन समिति के सदस्यों में परिचालित किया जायेगा.

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन.

73. (1) किसी विधेयक के प्रवर समिति को सौंपे जाने के बाद यथासंभव शीघ्र, प्रवर समिति विधेयक पर विचार करने के लिये समय-समय पर समवेत होगी और सभा द्वारा निश्चित समय, यदि कोई हो, के भीतर उस पर प्रतिवेदन देगी :

परन्तु जब सभा ने प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये कोई समय निश्चित न किया हो, तब प्रतिवेदन उस सत्र के पश्चात् अगले सत्र में उपस्थापित किया जायेगा जिसमें प्रवर समिति को सौंपे जाने का प्रस्ताव सभा में स्वीकार किया हो :

परन्तु यह और भी कि सभा किसी भी समय, प्रस्ताव किये जाने पर निर्देश दे सकेगी कि समिति द्वारा प्रतिवेदन के लिये समय प्रस्ताव में उल्लिखित तिथि तक बढ़ा दिया जाय.

(2) प्रतिवेदन या तो प्रारंभिक हो सकेंगे या अंतिम.

(3) प्रवर समिति अपने प्रतिवेदन में यह बतायेगी कि इन नियमों के निदेश के अनुसार विधेयक का प्रकाशन हो गया है या नहीं.

(4) जब विधेयक में परिवर्तन किया गया हो तब प्रवर समिति, यदि वह ठीक समझे अपने प्रतिवेदन में विधेयक के भारसाधक सदस्य के लिये यह सिफारिश सम्मिलित कर सकेगी कि उसका अगला प्रस्ताव परिचालन का प्रस्ताव होना चाहिये या जब विधेयक पहले ही परिचालित किया जा चुका हो तो पुनः परिचालन किया जाये.

(5) बैठक में प्रारूप रख दिये जाने के बाद प्रवर समिति के प्रतिवेदन पर समिति की ओर से सभापति द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा :

परन्तु यदि समय पर सभा में उपस्थापन हेतु प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिये सभापति उपलब्ध न हो, तो वह सदस्य जो समिति की उस बैठक में पीठासीन रहा हो जब कि प्रारूप स्वीकृत किया गया था, समिति की ओर से प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करेगा.

(6) प्रवर समिति का कोई सदस्य विधेयक से संबंधित या प्रतिवेदन में चर्चित किसी विषय या विषयों पर विमति टिप्पणी अभिलिखित कर सकेगा यदि समिति की बैठक में, जिसमें उस विषय पर विचार किया गया था, ऐसा विषय उठाया जा चुका हो, और उस सदस्य ने उस पर असहमति अभिव्यक्त की हो.

(7) विमति टिप्पणी विधेयक से संगत विषय की चर्चा तक सीमित होगी, संयत भाषा में लिखी जायेगी; प्रवर समिति में की गई किसी चर्चा को निर्दिष्ट न करेगी, समिति पर आक्षेप न करेगी और वैयक्तिक अभ्युक्तियों से मुक्त होगी.

(8) अध्यक्ष निर्देश दे सकेगा कि विमति टिप्पणी या अल्पमत प्रतिवेदन का कोई भाग, जो उपनियम (7) का उल्लंघन करता हो, तो लुप्त किया जाय, और उसका विनिश्चय अंतिम होगा.

प्रतिवेदन का मुद्रण और प्रकाशन.

74. सचिव, प्रवर समिति के प्रत्येक प्रतिवेदन को मुद्रित कराएगा और प्रतिवेदन की एक प्रति सभा के प्रत्येक सदस्य के उपयोग के लिये उपलब्ध की जाएगी. प्रतिवेदन संशोधित विधेयक सहित सभा में उपस्थापित किये जाने के बाद राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा.

अन्य बातों में लागू होने वाले उपबंध.

75. अन्य बातों में, इन नियमों के अध्याय 22 में सभा समिति के लिए उपबंधित नियम लागू होंगे.

(घ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के बाद की प्रक्रिया.

प्रतिवेदन के उपस्थापन के बाद की प्रक्रिया.

76. (1) किसी विधेयक पर प्रवर समिति के अंतिम प्रतिवेदन के उपस्थापन के बाद भारसाधक सदस्य प्रस्ताव कर सकेगा :-

(एक) कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर विचार किया जाए :

परन्तु यदि प्रतिवेदन की प्रतिलिपियां सदस्यों के उपयोग के लिये दो दिन पूर्व उपलब्ध न कर दी गई हों, तो कोई भी सदस्य उस पर इस तरह विचार किये जाने पर आपत्ति कर सकेगा और यदि अध्यक्ष इस नियम को निलंबित करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रतिवेदन पर विचार किए जाने की अनुमति न दे दे, तो ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी, या

(दो) कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक को -

(1) परिसीमा के बिना, अथवा

(2) केवल खास खण्डों या संशोधनों के संबंध में ही, अथवा

(3) प्रवर समिति को विधेयक में कोई खास या कोई अतिरिक्त उपबन्ध करने के अनुदेशों के साथ समिति को पुनः सौंपा जाए, या

(तीन) कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर राय या अग्रेतर राय जानने के प्रयोजन के लिये उसे परिचालित या पुनः परिचालित किया जाए,

(2) यदि विधेयक का भारसाधक सदस्य यह प्रस्ताव करे कि विधेयक पर विचार किया जावे, तो कोई सदस्य संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव कर सकेगा कि विधेयक समिति को पुनः सौंपा जाये या उस पर राय या अग्रेतर राय जानने के प्रयोजन के लिये परिचालित या पुनः परिचालित किया जाये.

प्रवर समिति के प्रतिवेदन पर वाद-विवाद की व्याप्ति.

77. इस प्रस्ताव पर कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर विचार किया जाये वाद-विवाद प्रवर समिति के प्रतिवेदन के विचार तक और उस प्रतिवेदन में निर्दिष्ट विषयों तक या विधेयक के सिद्धान्त से सुसंगत किन्हीं वैकल्पिक सुझावों तक सीमित रहेगा.

(ङ) खण्डों आदि में संशोधनों तथा विधेयक पर विचार.

संशोधनों की सूचना.

78. (1) जो सदस्य किसी विधेयक में किसी संशोधन का प्रस्ताव करना चाहे वह, उस दिन के विधेयक पर विचार किया जाना हो, उस दिन से एक दिन पूर्व अपने विचार की सूचना देगा, और वह जिस संशोधन का प्रस्ताव करना चाहता है, उसकी एक प्रति सूचना के साथ प्रस्तुत करेगा :

परन्तु अध्यक्ष किसी संशोधन को एक दिन पूर्व से कम की सूचना पर संशोधन की सूची में दर्ज करने की अनुमति दे सकेगा.

(2) यदि समय हो तो सचिव, सदस्यों को, समय-समय पर, उन संशोधनों की सूचियां उपलब्ध करायेगा जिनकी सूचनायें प्राप्त हो चुकी हों.

संशोधनों की ग्राह्यता की शर्तें.

79. संशोधनों की ग्राह्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

(1) संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो उसके विषय से संगत होगा.

(2) संशोधन विधेयक की प्रगति के दौरान में सभा द्वारा किये गये किसी पूर्व विनिश्चय से असंगत नहीं होगा.

(3) संशोधन ऐसा नहीं होगा कि जिससे वह खंड जिसे संशोधन करने की उसमें प्रस्थापना हो, दुर्बोध या व्याकरण के अनुसार अशुद्ध हो जाये.

(4) संशोधन में बाद के किसी संशोधन या अनुसूची की ओर निर्देश किया जाय या उसके बिना बोधगम्य न हो, तो प्रथम संशोधन का प्रस्ताव करने से पहले बाद के संशोधन या अनुसूची की सूचना दी जायेगी जिसमें कि संशोधन माला पूर्ण रूप में बोधगम्य हो जाये.

(5) अध्यक्ष, यह निर्धारित करेगा कि संशोधन किस स्थान पर प्रस्तुत किया जायेगा.

(6) अध्यक्ष, ऐसे संशोधन को प्रस्थापित करने से इंकार कर सकेगा जो उसकी राय में तुच्छ या अर्थहीन हो.

(7) जो संशोधन अध्यक्ष द्वारा पहले ही प्रस्थापित किया जा चुका हो, उसमें संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा.

संशोधनों की सूचना के साथ संविधान के अधीन आवश्यक मंजूरी या सिफारिश अनुबद्ध करना.

80. यदि कोई सदस्य ऐसा संशोधन प्रस्तुत करना चाहे जो संविधान के अन्तर्गत आवश्यक पूर्व मंजूरी या सिफारिश के बिना पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता, तो सदस्य इन नियमों द्वारा अपेक्षित सूचना के साथ ऐसी मंजूरी या सिफारिश की एक प्रतिलिपि भी अनुबद्ध करेगा और सूचना तब तक मान्य नहीं होगी जब तक इस अपेक्षा का पालन नहीं हो जाता :

परन्तु पूर्व मंजूरी या सिफारिश आवश्यक नहीं होगी, यदि संशोधन-

(क) विधेयक या संशोधन में प्रस्थापित कर की सीमाओं को समाप्त या कम करने, या

(ख) ऐसे कर को विद्यमान कर की सीमाओं तक बढ़ाने के लिये हो.

संशोधनों का विन्यास.

80-क. जिन संशोधन की सूचना दी जा चुकी हो, उनका विन्यास समय-समय पर नियमित संशोधन सूची में यथासाध्य उस क्रम में किया जायेगा जिसमें कि वे पुकारे जायें, किसी खण्ड के एक ही स्थान पर एक सा ही प्रश्न उठाने वाले संशोधनों का विन्यास करते समय विधेयक के भारसाधक सदस्य द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधनों को पूर्ववर्तिता दी जा सकेगी. उपर्युक्त के अधीन रहते हुए संशोधनों का विन्यास उस क्रम में किया जा सकेगा, जिसमें कि उनकी सूचनायें प्राप्त हुई हों.

संशोधनों का क्रम.

81. (1) साधारणतया खण्डों पर और खण्डों के संशोधनों पर, जिनसे वे क्रमशः संबंधित हों, यथास्थिति उसी क्रम से विचार किया जायेगा जिस क्रम से खण्ड विधेयक में हों, और ऐसा कोई खण्ड विचारार्थ लिया जाये तब उसके संबंध में यह प्रस्ताव किया गया समझा जायेगा, कि "यह खण्ड विधेयक का अंग बने."

(2) अध्यक्ष, यदि वह ठीक समझे किसी खण्ड के एक से संशोधनों को एक प्रश्न के रूप में रख सकेगा :

परन्तु यदि कोई सदस्य प्रार्थना करे कि कोई संशोधन अलग से रखा जाये तो अध्यक्ष उस संशोधन को अलग से रखेगा.

संशोधन प्रस्तुत करने की रीति.

81-क. जब यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया हो कि विधेयक पर विचार किया जाये तो कोई सदस्य अध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने पर विधेयक में वह संशोधन प्रस्तुत कर सकेगा जिसकी उसने पहले सूचना दे दी हो :

परन्तु समय बचाने और तर्कों की पुनरावृत्ति रोकने के लिये एक दूसरे पर आश्रित कितने ही संशोधनों के संबंध में एक ही चर्चा करने की अनुमति दी जा सकेगी.

संशोधनों की वापसी.

82. प्रस्तुत किया गया कोई संशोधन, प्रस्तावक सदस्य की प्रार्थना पर, सभा की अनुमति से ही वापस लिया जा सकेगा, अन्यथा नहीं, यदि किसी संशोधन पर संशोधन प्रस्थापित किया गया हो, तो मूल संशोधन तब तक वापस नहीं लिया जायेगा, जब तक कि उस पर प्रस्थापित संशोधन न निपटा दिया जाये.

विधेयक का खंडशः रखा जाना.

83. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, जब यह प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाए, स्वीकृत हो गया हो, तब यह अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर होगा कि वह विधेयक को या विधेयक के किसी भाग को खण्डशः सभा के सामने रखें, जब उस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाय तब अध्यक्ष प्रत्येक खण्ड को अलग-अलग पुकारेगा और जब उससे संबंधित संशोधन निपटाये जा चुके हों, तब प्रश्न रखेगा कि "यह खण्ड (या कि यह खण्ड संशोधित रूप में यथास्थिति) विधेयक का अंग बने."

खंड पर विचार का विलंबन.

84. यदि अध्यक्ष, ठीक समझे तो वह खण्ड पर विचार विलंबित कर सकेगा.

अनुसूचियों पर विचार.

85. यदि कोई अनुसूची या अनुसूचियां हों, तो उन पर विचार, खण्डों पर विचार के बाद होगा. अनुसूचियां अध्यक्ष द्वारा उसी रीति से रखी और संशोधित की जा सकेंगी, जैसे कि खण्ड और नई अनुसूचियों पर विचार मूल अनुसूचियों के विचार के बाद किया जायेगा तब यह प्रश्न रखा जाएगा कि "यह अनुसूची (या कि यह अनुसूची संशोधित रूप में यथास्थिति) विधेयक का अंग बने." :

परन्तु अध्यक्ष अनुसूची या अनुसूचियों पर, यदि कोई हो, खण्डों को निपटाये जाने के पहले या किसी खण्ड के साथ या अन्यथा, जैसा कि वह ठीक समझे, विचार किये जाने की अनुमति दे सकेगा.

खण्डों और अनुसूचियों पर मतदान.

86. अध्यक्ष, यदि वह उचित समझे तो खण्डों और/या अनुसूचियों को अथवा संशोधित रूप में खंडों और/या अनुसूचियों को, यथास्थिति एक साथ एक प्रश्न के रूप में सभा के मतदान के लिये रख सकता है :

परन्तु यदि कोई सदस्य प्रार्थना करे कि कोई खण्ड या अनुसूची अथवा संशोधित रूप में कोई खण्ड या अनुसूची यथास्थिति पृथक् रूप से मतदान के लिये रखी जाए, तो अध्यक्ष उस खण्ड या अनुसूची को अथवा संशोधित रूप में खण्ड या अनुसूची को यथास्थिति पृथक् रूप से रखेगा.

विधेयक का खण्ड एक, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना और नाम.

87. विधेयक के खण्ड एक, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, यदि कोई हो, और नाम पर विचार तब तक विलंबित रखा जायेगा जब तक कि अन्य खण्ड तथा अनुसूचियां (नये खण्ड तथा नई अनुसूचियों सहित) न निपटा दी जाए, और अध्यक्ष तब प्रश्न रखेगा कि "खण्ड एक या अधिनियमन सूत्र या प्रस्तावना या नाम (या कि संशोधित रूप में खण्ड एक, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना या नाम यथास्थिति) विधेयक का अंग बने."

(च) विधेयकों का पारण तथा प्रमाणीकरण.

विधेयक पारित करने का प्रस्ताव.

88. (1) जब यह प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाय स्वीकार हो गया हो और विधेयक में संशोधन न किया जाय, तब भारसाधक सदस्य तुरन्त ही यह प्रस्ताव कर सकेगा कि विधेयक पारित किया जाय.

(2) यदि विधेयक में कोई संशोधन किया गया हो तो कोई भी सदस्य ऐसे प्रस्ताव कि विधेयक पारित किया जाय के उसी दिन किए जाने पर आपत्ति कर सकेगा और ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी, जब तक कि अध्यक्ष प्रस्ताव रखने की अनुमति न दे दें.

(3) जब यह आपत्ति अभिभावी हो तब यह प्रस्ताव कि विधेयक पारित किया जावे किसी अगले दिन लाया जा सकेगा.

(4) ऐसे प्रस्ताव पर कोई ऐसा संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा जो या तो औपचारिक या शाब्दिक या स्पष्टीकरणात्मक न हो या विधेयक पर विचार किये जाने के बाद किए गए संशोधन के कारण आनुषंगिक न हो.

वाद-विवाद की व्याप्ति.

89. इस प्रस्ताव पर कि विधेयक पारित किया जाय, चर्चा विधेयक के समर्थन में या उसे अस्वीकार करने के लिये दिये गए प्रतर्कों तक सीमित होगी. भाषण करते समय सदस्य विधेयक के ब्यौरे का उससे अधिक निर्देश नहीं करेगा जितना कि उसके प्रतर्कों के प्रयोजन के लिये आवश्यक हो जो कि सामान्य रूप के होंगे और भाषण को ऐसे विषयों तक न बढ़ाया जाएगा जो उस विधेयक सम्मिलित न हों.

विधेयक का प्रमाणीकरण.

90. (1) जब कोई विधेयक सभा द्वारा पारित किया जा चुके तब यदि आवश्यक हो, तो सचिव खण्डों को पुनरांकित करेगा, उसकी पार्श्व टिप्पणियों का पुनरीक्षण करेगा और उनको पूरा करेगा और उसमें केवल औपचारिक या आनुषंगिक संशोधन करेगा, जैसा अपेक्षित हो और राष्ट्रपति के विचारार्थ किये जाने वाले विधेयक की तीन प्रतियां तथा राज्यपाल को अनुमति के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले विधेयक की दो प्रतियां, अध्यक्ष को प्रस्तुत की जायेंगी और वह उन पर हस्ताक्षर करेगा.

परन्तु अध्यक्ष के रायपुर से अनुपस्थित होने पर सचिव अविलम्बनीयता की अवस्था में अध्यक्ष की ओर से विधेयक का प्रमाणीकरण कर सकेगा.

(2) राज्यपाल/राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक की एक प्रति सत्यापन और अभिलेख के लिए सुरक्षित रख दी जायेगी और अध्यक्ष की अनुमति बिना सभा की अभिरक्षा से बाहर ले जाने नहीं दी जाएगी.

(छ) राज्यपाल द्वारा लौटाए गये विधेयकों पर पुनर्विचार.

राज्यपाल का संदेश.

91. (1) जब सभा द्वारा पारित कोई विधेयक सभा को राज्यपाल द्वारा एक संदेश के साथ लौटाया जाये जिसमें यह कहा गया हो कि सभा विधेयक पर अथवा उसके किन्हीं उल्लिखित उपबन्धों पर अथवा किन्हीं संशोधनों पर जिनकी संदेश में सिफारिश की गई हो, पुनर्विचार करे तो अध्यक्ष, राज्यपाल के संदेश को सभा में, यदि वह सत्र में हो पढ़कर सुनाएगा अथवा यदि सभा सत्र में न हो तो यह निर्देश देगा कि उसे सदस्यों की जानकारी के लिए पत्रक में प्रकाशित कर दिया जाय.

(2) उसके पश्चात् विधेयक को सभा द्वारा पारित और राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिये लौटाये गये रूप में पटल पर रखा जायेगा.

संशोधनों पर विचार के प्रस्ताव की सूचना.

92. विधेयक के इस प्रकार पटल पर रखे जाने के पश्चात किसी समय शासकीय विधेयक की दशा में कोई मंत्री या किसी अन्य की दशा में कोई सदस्य यह प्रस्ताव रखने के अभिप्राय की सूचना दे सकता है कि राज्यपाल द्वारा जिन संशोधनों की सिफारिश की गई है, उन पर विचार किया जाये.

विचार करने का प्रस्ताव.

93. विचार करने का प्रस्ताव कार्य-सूची में जिस दिन रखा गया हो, और वह दिन जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा निर्देश न दे सूचना की प्राप्ति के बाद दो दिन से पहले नहीं होगा, उस दिन सूचना देने वाला सदस्य यह प्रस्ताव कर सकता है कि संशोधनों पर विचार किया जाये.

वाद-विवाद की व्याप्ति.

94. ऐसे प्रस्ताव पर वाद-विवाद, राज्यपाल के संदेश में निर्दिष्ट विषयों तक या राज्यपाल द्वारा सिफारिश किए गए किसी संशोधनों के विषय से संगत किसी सुझाव तक ही सीमित रहेगा.

संशोधन पर विचार.

95. यदि यह प्रस्ताव कि जिन संशोधनों की सिफारिश राज्यपाल ने की है, उन पर विचार किया जावे, स्वीकृत हो जाय, तो अध्यक्ष उन संशोधनों को सभा के समक्ष ऐसे ढंग से रखेगा जिसे कि वह उन पर विचार करने के लिये अधिकतम सुविधाजनक समझे.

संशोधन पर विचार करने की प्रक्रिया.

96. कोई संशोधन जो राज्यपाल द्वारा सिफारिश किये गये किसी संशोधन के विषय से संगत हो, प्रस्तावित किया जा सकता है, परन्तु विधेयक पर अग्रेतर कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह राज्यपाल द्वारा सिफारिश किये गये किसी संशोधन का आनुषंगिक, प्रासंगिक या वैकल्पिक संशोधन न हो.

विधेयक का पुनः पारण.

97. जब सभी संशोधन निपटाए जा चुके हों तो नियम 92 के अधीन प्रस्ताव की सूचना देने वाला सदस्य यह प्रस्ताव कर सकता है कि विधेयक को, यथास्थिति सभा द्वारा मूलतः पारित रूप में अथवा संशोधित रूप में, पुनः पारित किया जाए.

संशोधन से सभा की असहमति.

98. यदि यह प्रस्ताव पारित न हो कि राज्यपाल द्वारा सिफारिश किये गये संशोधनों पर विचार किया जाय तो नियम 92 के अधीन प्रस्ताव की सूचना देने वाला सदस्य तत्काल यह प्रस्ताव कर सकता है कि सभा द्वारा मूल रूप में पारित विधेयक को बिना किसी संशोधन के पुनः पारित किया जाय.

(ज) सभा द्वारा पुनः पारित विधेयक का प्रमाणीकरण.

सभा द्वारा पुनः पारित विधेयक का प्रमाणीकरण.

99. जब कोई विधेयक सभा द्वारा पुनः पारित किया जाय तथा वह सभा के कब्जे में हो, तो विधेयक पर अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जायेंगे और उसे राज्यपाल के समक्ष निम्नलिखित रूप में उपस्थित किया जाएगा :-

"उक्त विधेयक संविधान के अनुच्छेद 200 के परन्तुक के अनसुरण में सभा द्वारा पुनः पारित किया गया है.

अध्यक्ष".

परन्तु अध्यक्ष के रायपुर से अनुपस्थित होने पर सचिव अविलम्बनीयता की अवस्था में अध्यक्ष की ओर से विधेयक का प्रमाणीकरण कर सकेगा.

राज्यपाल के अध्यादेशों की चर्चा.

100. संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन जब राज्यपाल किसी अध्यादेश का प्रख्यापन करे तब उसके पश्चात् यथासंभव शीघ्र ऐसे अध्यादेश की मुद्रित प्रतियां सभा के सदस्यों के लिये उपलब्ध की जावेंगी. सभा के पुनः समवेत होने से छः सप्ताह के भीतर सचिव को पूरे तीन दिन की सूचनायें देने के पश्चात् कोई सदस्य अध्यादेश के अननुमोदन करने का संकल्प प्रस्तुत कर सकेगा.

अध्यादेशों के संबंध में विवरण.

101. (1) जब कभी कोई विधेयक किसी अध्यादेश के स्थान में उसमें रूप भेद सहित या उनके बिना सभा में पुरःस्थापित किया जाए तो विधेयक के साथ उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण भी सभा के सामने रखा जाएगा जिनके कारण अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाना आवश्यक हो गया था.

(2) जब कभी कोई ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित किया जाय जिसमें सभा के सामने लम्बित किसी विधेयक के उपबंध पूर्णतः या अंशतः या रूप भेद सहित समाविष्ट हों तो उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण जिनके कारण अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाना आवश्यक हो गया था, अध्यादेश को प्रख्यापित करने के बाद के सत्र के प्रारंभ में पटल पर रख दिया जावेगा.

(झ) विधेयकों पर वाद-विवाद का स्थगन और उनको वापस लेना तथा हटाना.

विधेयक पर वाद-विवाद का स्थगन.

102. सभा में चर्चाधीन विधेयक के किसी प्रक्रम पर अध्यक्ष की सम्मति से यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा कि विधेयक पर वाद-विवाद स्थगित किया जाए.

विधेयक की वापसी.

103. विधेयक का भारसाधक सदस्य, विधेयक के किसी प्रक्रम पर विधेयक को इस आधार पर वापस लेने की अनुमति का प्रस्ताव कर सकेगा कि :-

(क) विधेयक से अन्तर्विष्ट विधायनी प्रस्थापना समाप्त की जानी है, या

(ख) बाद में उस विधेयक के स्थान पर एक नया विधेयक लाया जाना है, जिससे उसमें अन्तर्विष्ट उपबन्ध में सारवान रूप से फेर-बदल हो जाएगी;

(ग) बाद में उस विधेयक के स्थान पर एक नया विधेयक लाया जाना है, जिसमें अन्य उपबन्धों के अतिरिक्त उसके सभी या कोई उपबन्ध सम्मिलित हों, और यदि ऐसी अनुमति दी जाय, तो उस विधेयक के संबंध में कोई अग्रेतर प्रस्ताव नहीं किया जाएगा :

परन्तु जब कोई विधेयक यथास्थिति, सभा के प्रवर समिति के विचाराधीन हो, तो विधेयक की वापसी के प्रस्ताव की सूचना स्वतः समिति को सौंपी गई मानी जाएगी और समिति द्वारा सभा को दिए गए प्रतिवेदन में राय व्यक्त करने के बाद प्रस्ताव कार्य सूची में रखा जाएगा.

वापसी के प्रस्ताव को प्रस्तुत या उसका विरोध करने वाले सदस्य द्वारा व्याख्यात्मक वक्तव्य.

103-क. यदि किसी विधेयक को वापस लेने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाय तो, अध्यक्ष यदि वह ठीक समझे, प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले का विरोध करने वाले तथा प्रस्तावक सदस्य को संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्तव्य देने की अनुज्ञा दे सकेगा और उसके बाद अग्रेतर वाद-विवाद के बिना, प्रश्न रख सकेगा.

विधेयकों की पंजी से विधेयक का हटाया जाना.

104. जब सभा द्वारा किसी विधेयक के बारे में इन नियमों के अधीन निम्नलिखित मूल प्रस्तावों में से कोई प्रस्ताव अस्वीकार किया जाय, तो उस विधेयक के संबंध में कोई और प्रस्ताव नहीं किया जायेगा और ऐसा विधेयक सभा में लंबित विधेयकों की पंजी में से हटा दिया जायेगा :-

(1) कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय;

(2) कि विधेयक पर राय जानने के प्रयोजन के लिये परिचालित किया जाय;

(3) कि विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाय;

(4) कि विधेयक पर विचार किया जाय;

(5) कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर विचार किया जाय; और

(6) कि विधेयक को (या विधेयक को संशोधित रूप में यथास्थिति) पारित किया जाय.

विधेयकों की पंजी से गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक हटाने के लिये विशेष उपबन्ध.

104-क. सभा के सामने लंबित कोई गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक भी सभा में लंबित विधेयक की पंजी से हटा दिया जायेगा, यदि :-

(क) भारसाधक सदस्य सभा का सदस्य न रहे, या

(ख) भारसाधक सदस्य मंत्री नियुक्त किया जाय.

(ञ) संविधान में संशोधन के अनुसमर्थन के लिये प्रक्रिया.

संविधान में संशोधन का अनुसमर्थन.

105. (1) संविधान के संशोधन के अनुसमर्थन के लिये सूचना या संदेश प्राप्त होने पर उस विधेयक एवं तद्विषयक वाद-विवाद की प्रतिलिपि सहित सभा के पटल पर रखा जायेगा.

(2) अध्यक्ष, सभा नेता के परामर्श से, उस पर चर्चा के लिये तिथि नियत करेगा.

(3) संकल्प पर चर्चा से संबंधित नियम और आदेश ऐसे संकल्प की चर्चा पर यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे.

(4) सभा द्वारा पारित हो जाने पर संकल्प की प्रतिलिपि सचिव द्वारा शासन तथा संसद को भेजी जावेगी, संकल्प के पारित न होने की दशा में तद्विषयक सूचना भेज दी जावेगी.